



मा० ला० ३१८९
वालाहान्दू० १२१
२३-८-१८९१
पुनर्जी ३५४



120

श्री

विविध प्रकरण कमांक :

प्रस्तुति दिनांक : २३.८.२०१४

माननीय रेवेन्यू बोर्ड केम्प इन्वॉर ज्वालियर के समक्ष

उन्निसाप्त - ५५२३/२०१४। रक्खा० १०/ श्रा० २।

एक. परसराम पिता धनिया यादव

दो. जितेन्द्र पिता परसराम यादव

निवासी-ग्राम सहेजला, तहसील भीकनगांव,

जिला खरगोन म.प्र.

---- प्रार्थीगण

वि रु द्व

एक. ग्राम पंचायत सहेजला

द्वारा सरपंच

ग्राम पंचायत सहेजला, तहसील भीकनगांव,

जिला खरगोन म.प्र.

दो. संतोष पिता पूनमचन्द यादव

पंच ग्राम पंचायत सहेजला

पता-सहेजला, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन

तीन. राजेश पिता परसराम यादव

चार. बाबूलाल पिता मांगीलाल यादव

पाँच. मुकुन्द पिता रघुनाथ यादव

छः. रामेश्वर पिता गणपत यादव

सात. कृष्णा पिता तुलसीराम यादव

आठ. भागीरथ पिता तुलसीराम यादव

नौ. मगन पिता भातु

दस. कृष्णा पिता गजानंद यादव

ज्यारह. मोतीराम पिता बद्री यादव

बारह. अशोक पिता मुकुन्द यादव

तेरह. मयाराम पिता लक्ष्मण यादव

चौदह. कडवा पिता रामा यादव

:: रे ::

पन्द्रह. अनिल पिता जगदीश यादव
 सोलह. कैलाश पिता खुश्याल यादव
 सत्रह. माधव पिता नवरथा यादव
 अठारह. गजानन्द पिता बद्री यादव
 उन्नीस. जितेन्द्र पिता मोतीराम यादव
 बीस. महेन्द्र पिता बाबूलाल यादव
 इक्कीस. ओमप्रकाश पिता बाबूलाल यादव
 बाईस. धर्मेन्द्र पिता गजानन्द यादव
 सभी निवासी-ग्राम सहेजला, तहसील भीकनेगांव,
 जिला खरगोन म.प्र.

---- प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र : अन्तर्गत धारा 35(3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है कि :--

१ यह कि, प्रार्थीगण द्वारा एक निगरानी याचिका मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के तहत मानीय अपर कमिशनर महोदय इन्डौर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक ४२८/१५-१६ अपील खरगोन में पारित आदेश दिनांक २८/४/२०१८ से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो निगरानी क्रमांक ३३६/२०१८ के रूप में दर्ज की गयी।

२ यह कि, उपरोक्त निगरानी दिनांक २० जून २०१८ को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत रही होकर उक्त दिनांक को प्रार्थीगण के अधिवक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था, परन्तु कार्य की अत्यधिक व्यस्तता व नजरचूकवश प्रार्थीगण के अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष पुकार के समय उपस्थित नहीं हो सके, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक २० जून २०१८ को प्रार्थीगण की ओर से

8.4.36 PM

(3)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्स्थापन 5523/2018/खरगोन/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	<p>आवेदक अधिवक्ता के 0सी0यादव उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी/पीबीआर/खरगोन/भूरा/2018/3361 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>अध्यक्ष</p> <p><i>[Signature]</i></p>